राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं. एफ. 9(1) रेवे–6/2007/39 जयपुर, दिनांक : 4-08-2007

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 101 और 102 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारंभ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 है।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .– इन नियमों में , जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) " अधिनियम " से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम , 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) अभिप्रेत है ;

(ख) " कृषि सहकारी सोसाइटी " से भूमिहीन व्यक्तियों की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ग) " आवंटन प्राधिकारी " से नियम 9 के अधीन गठित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) " अविविबो " से राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर गठित अवसंरचना विकास और विनिधान बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) " जैव–ईंधन प्राधिकारी " से राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) " जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई " से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसे संकुलों या सम्पदाओं की स्थापना जिनमें जैव–ईंधन प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयां , परिष्करणियां , जैव–ईंधन के क्षेत्रों में संयुक्त उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाएं , संकर बीज उत्पादन , ऊतक संवर्धन इत्यादि के माध्यम

से सूक्ष्म संजनन और प्रशिक्षण सहित अनुसन्धान और विकास कियाकलाप समाविष्ट हों ;

(छ) " जैव–ईंधन रोपण " के अन्तर्गत है जैव–डीजल के उत्पादन के लिए जटरोपा , क़रंज और अन्य उपयुक्त तिलहन वनस्पति ;

(ज) " कम्पनी " से कम्पनी अधिनियम , 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अभिप्रेत है ;

(झ) " जिला स्तरीय समिति " या " जि.स्त.स. " से राजस्थान स्टाम्प नियम , 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) " प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ट) " सरकारी उपक्रम " से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन उपक्रम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कम्पनियां और निगम भी हैं ;

(ठ) " ग्राम पंचायत " से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम , 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है ;

(ड) " भूमिहीन व्यक्ति " से राजस्थान का ऐसा कोई निवासी अभिप्रेत है जो या तो कोई वास्तविक कृषक है या कोई कृषि श्रमिक है , और स्वयं खेती कर रहा है या जिसके द्वारा स्वयं खेती करना संभाव्य है , और जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती या कोई ऐसी उपजीविका है जो कृषि की समनुषंगी या अनुसेवी है, और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कहीं भी भू–धृति धारित नहीं करता है , या ऐसी भूमि का वह क्षेत्र , जो वह धारित करता है जिसमें कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो उसे पूर्व में आवंटित की गयी थी , असिंचित भूमि के 2 हैक्टर से कम है :

परन्तु व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्ग भूमिहीन व्यक्ति नहीं माने जायेंगे , अर्थात् :–

(क) सरकार का या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थापन या समुत्थान का कोई कर्मचारी , उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे। इस प्रयोजन के लिए किसी आकस्मिक या कार्य प्रभारित श्रमिक को कर्मचारी के रूप में नहीं माना जायेगा ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने उसके द्वारा धारित या उसे आवंटित सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को विक्रीत कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है और तद्द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र से कम धारित करता है ;

(ग) कोई विवाहित व्यक्ति , जिसकी पत्नी या , यथास्थिति , जिसका पति पूर्व में उसे संयुक्त रूप से या पृथकतः आवंटित भूमि को सम्मिलित करते हुए ,असिंचित भूमि के 2 हैक्टर से अधिक भूमि धारित करता है ;

(ढ) " पट्टा " से इन नियमों के अधीन निष्पादित कोई पट्टा अभिप्रेत है ;

(ण) " सोसाइटी " से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(त) " गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वसाहाय्य समूह " से स्वर्णजयन्ती

ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन गठित स्वसाहाय्य समूह अभिप्रेत है ;

(फ) " ग्राम वन सुरक्षा और प्रबन्ध समिति " से , राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा समय–समय पर गठित कोई समिति अभिप्रेत है ; और

(ब) " बंजर भूमि " से ऐसी निम्नीकृत भूमि जिसे युक्तियुक्त प्रयासों से खेती के काम में लाया जा सकता है और जो वर्तमान में अनुपयोजित पड़ी है और गंलीदार भूमि को सम्मिलित करते हुए ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसका प्राकृतिक कारणों से समुचित मृदा और जल प्रबन्धन की कमी से क्षय हो रहा है।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों , जहां कहीं भी इन नियमों में प्रयुक्त की गयी है, का वही अर्थ लगाया जायेगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. आवंटन का प्रयोजन और पात्रता .– (1) इन नियमों के अधीन जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए भूमि निम्नलिखित को आवंटित की जा सकेगी :–

(क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वसाहाय्य समूह ,

(ख) ग्राम वन सुरक्षा और प्रबन्ध समिति ,

(ग) ग्राम पंचायत ,

(घ) कृषि सहकारी सोसाइटी ,

(ड.) सोसाइटी ,

(च) सरकारी उपक्रम और

(छ) कम्पनी।

(2) किसी जिले में उपलब्ध कुल बंजर भूमि का अधिकतम तीस प्रतिशत सरकारी उपक्रमों और कम्पनियों को आवंटित किया जा सकेगा और उन सरकारी उपक्रमों और कम्पनियों को अधिमान दिया जायेगा जो रतनजोत, कारंज और अन्य समान जैव–ईंधन पौधों का रोपण करने और प्रसंस्करण इकाइयों , परिष्करणियों , संयुक्त इकाइयों , ऐसे जैव–ईंधन पौधों के मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण स्थापित करने , अनुसन्धान और विकास को सम्मिलित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और बीजों के लिए नर्सरी स्थापित करने का जिम्मा लें और स्थानीय क्षेत्रों से कम से कम 50 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों को नियोजित करने का जिम्मा लें।

(3) शेष भूमि उप–नियम (1) के अन्य प्रवर्गों को आंवटित की जायेगी और अन्य प्रवर्गों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वसाहाय्य समूहों को अधिमान दिया जायेगा।

4. बंजर भूमि की पहचान .– (1) जिलें में उपलब्ध बंजर भूमि की पहचान इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समिति द्वारा की जायेगी :–

(क) जिला कलक्टर	–	अध्यक्ष
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद	–	सदस्य

(ग) खण्ड वन अधिकारी — सदस्य
(घ) सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी — सदस्य
(ड.) सम्बन्धित तहसीलदार — सदस्य
(च) उप निदेशक , कृषि — सदस्य
(छ) अपर कलक्टर (प्रशासन) — सचिव

(2) पहचान की गयी बंजर भूमि में समस्त ब्यौरा (जैसे ग्राम/तहसील का नाम, भूमि का विवरण , खसरा संख्यांक , भूमि का क्षेत्रफल , मृदा वर्गीकरण इत्यादि) समाविष्ट होगा। इस प्रकार पहचान की गयी भूमि राज्य सरकार/जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। समस्त ब्यौरे के साथ बंजर भूमि की सूची राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग , ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग , और कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी और यह 10 हैक्टर की इकाइयों के ब्लाक 100 हैक्टर के समूह और 5000 हैक्टर के जोन में समूहीकृत की जायेगी।

5. बंजर भूमि जो आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी .— इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए निम्नलिखित बंजर भूमि उपलब्ध नहीं होगी :—

(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम , 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 16 के अधीन प्रतिषिद्ध भूमि ;
(ख) किसी तालाब , सरिता , नाला , नदी के जलागम क्षेत्र में अवस्थित और राजस्व अभिलेख में इस प्रकार अभिलिखित भूमि ;
(ग) नगरीय क्षेत्र के भीतर भूमि आवंटन के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन आवंटन के लिए आरक्षित भूमि ;
(घ) अधिनियम की धारा 90—ख के अधीन यथा उपबंधित नगरीय सीमा या परिधीय क्षेत्र के भीतर अवस्थित भूमि ;
(ड.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाली भूमि ;
(च) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग की केन्द्रीय रेखा से एक किलोमीटर ,
(ii) राज्य राजमार्ग , मेगा राजमार्ग से 500 मीटर ,
(iii) मुख्य जिला सड़कों से 500 मीटर की सीमा के भीतर अवस्थित भूमि ;
(छ) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा विहित सीमाओं के भीतर अवस्थित भूमि।

6. भूमि का आवंटन .— (1) बंजर भूमि , नियम 10 में निर्दिष्ट भूमि के प्रीमियम के संदाय पर पट्टाधृत्ति आधार पर सरकारी उपकमों , कम्पनियों और सोसाइटियों को आवंटित की जायेगी।

(2) भूमि , उप—नियम (1) में यथा—उल्लिखित के सिवाय सभी व्यक्तियों को गैर—खातेदारी आधार पर आवंटित की जायेगी।
(3) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे।

7. **गैर–खातेदारी और पट्टे की अवधि** .– गैर–खातेदारी आधार पर और पट्टाधृति आधार पर आवटित बंजर भूमि 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी।

8. **भूमि के आवंटन के लिए आवेदन** .– (1) कम्पनियों और सरकारी उपकमों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा और कम्पनियां और सरकारी उपकम निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्ररूप " क " में, आवेदक द्वारा सम्यक् रुप से हस्ताक्षरित तीन प्रतियों में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे :–

(क) बंजर भूमि का स्थल रेखांक ;

(ख) परियोजना रिपोर्ट ;

(ग) जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन प्रसंस्करण इकाई , यदि कोई हो , का भवन रेखांक ;

(घ) उप–विधियों , संगम–अनुच्छेद और भागीदारी विलेख की प्रति (जहां कही लागू हो) ।

(2) कम्पनियों , लोक उपकमों और सोसाइटियों के आवेदन के साथ 1000/.रु. रजिस्ट्रीकरण फीस और प्रति हैक्टर 400/.रु. के समतुल्य प्रतिभूति रकम होगी। प्रतिभूति रकम परियोजना के सफल कियान्वयन पर समायोज्य होगी।

9. **बंजर भूमि का आवंटन** .– नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर , आवेदन की समुचित स्तर पर संवीक्षा की जायेगी और आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात् बंजर भूमि का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा :–

(क) 100 हैक्टर तक बंजर भूमि जिला कलक्टर द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी जिला समिति की सिफारिश पर (कम्पनियों और सरकारी उपकमों को छोड़कर) आवंटित की जायेगी :–

(i) जिला कलक्टर	–	अध्यक्ष
(ii) अपर कलक्टर (प्रशासन)	–	सदस्य सचिव
(iii) विधान सभा का सम्बन्धित सदस्य	–	सदस्य
(iv) खण्ड वन अधिकारी	–	सदस्य
(v) संयुक्त/उप निदेशक, कृषि	–	सदस्य

(ख) 1000 हैक्टर तक बंजर भूमि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर कम्पनियों और सरकारी उपकमों को आवंटित की जायेगी :–

(i) मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ii) प्रमुख शासन सचिव , राजस्व	–	सदस्य
(iii) प्रमुख शासन सचिव , कृषि	–	सदस्य
(iv) प्रमुख शासन सचिव , उद्योग	–	सदस्य
(v) आयुक्त , बी.आई.पी.	–	सदस्य
(vi) आयुक्त , जैव–ईंधन प्राधिकारी	–	सदस्य
(vii) उप शासन सचिव , राजस्व (ग्रुप–6)	–	सदस्य सचिव।

(ग) 1000 हैक्टर से अधिक बंजर भूमि अवसंरचना विकास और विनिधान बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों और सरकारी उपकमों को आवंटित की जायेगी। आवंटन के प्रस्ताव की खण्ड (ख) में उल्लिखित समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी।

(घ) आवंटन प्ररूप "ख" में किया जायेगा।

(ड.) 5000 हैक्टर के किसी जोन में भूमि केवल एक कम्पनी को आवंटित की जायेगी। यदि किसी जोन में एक से अधिक आवेदक हों तो आवंटन का विनिश्चय कम भूमि का अनुरोध करने वाली कम्पनी के पक्ष में किया जायेगा।

10. भूमि का प्रीमियम .– (1) यदि बंजर भूमि पट्टाधृति आधार पर आवंटित की जाती है तो पट्टेदार भूमि के लिए क्षेत्र की बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के लिए विहित जि.स्त. स. दर के 20 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम का संदाय करेगा।

(2) गैर खातेदारी आधार पर आवंटित भूमि पर कोई प्रीमियम प्रभार्य नहीं होगा।

11. प्रीमियम की वसूली .– पट्टाधृति आधार पर आवंटित बंजर भूमि का प्रीमियम पट्टेदार द्वारा , रकम जमा कराने की सूचना प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर जमा कराया जायेगा :

परन्तु आवंटिती 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ उक्त रकम अगले 60 दिन के भीतर जमा करा सकेगा। व्यतिकम की दशा में , भूमि का आवंटन स्वतः रद्द हो जायेगा।

12. पट्टा किराया .– (1) कम्पनियों , सरकारी उपकमों और सोसाइटियों को आवंटित बंजर भूमि का वार्षिक पट्टा किराया उस तहसील में बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के भू–राजस्व का 10 गुना होगा।

(2) राज्य सरकार किसी भी समय वार्षिक पट्टा किराये को पुनरीक्षित कर सकेगी जो पट्टेदार द्वारा संदेय होगा।

13. पट्टा–किराये के देर से संदाय पर ब्याज .– यदि पट्टा–किराया विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं कराया जाता है तो देय रकम पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

14. भूमि के आवंटन के लिए निबन्धन और शर्तें .– इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा :–

(क) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी जिसके लिए वह आवंटित की गयी है । तथापि , आवंटिती , आवंटित क्षेत्र का 2 प्रतिशत या 10 हैक्टर भूमि , इनमें से जो भी कम हो , कच्ची सामग्री के

भंडारण , तैयार माल के भंडारण , श्रमिक आवास और कारखाना शैड के लिए उपयोग में ला सकेगा ;

(ख) आवंटिती को उस तारीख से , जिसको कब्जा सौंपा गया है , दो वर्ष के भीतर भूमि के 50 प्रतिशत को रोपण के उपयोग में लाना होगा और शेष को अगले एक वर्ष के भीतर रोपण के उपयोग में लाना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा ;

(ग) आवंटिती समस्त कर , जो समुचित विधियों के अधीन उद्गृहणीय हों , का संदाय करने का दायी होगा ;

(घ) आवंटिती इन नियमों के समस्त निबन्धनों और शर्तों और समय–समय पर यथा–संशोधित अन्य लागू विधियों का पालन करेगा ;

(ड.) आवंटिती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियोजन में अधिमान देगा ;

(च) आवंटिती आवंटित भूमि का स्वयं उपयोग करेगा और भूमि का अन्तरण/उप–पट्टा नहीं करेगा ;

(छ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सूक्ष्म सिचांई प्रबन्धन प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा ;

(ज) आवंटिती आवंटन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किये बिना स्थायी प्रकृति का कोई संनिमार्ण नहीं करेगा ;

(झ) कम्पनियों से भिन्न आवंटिती , जैव–ईंधन प्राधिकारी द्वारा नियत किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस जोन में अवस्थित कम्पनी को उपज का विकय करेगा ;

(ञ) कम्पनी जैव–ईंधन प्राधिकारी द्वारा नियत किये गये न्यूनतम समर्थन मूंल्य पर उस जोन में अवस्थित अन्य आवंटितियों से उपज का कय करेगा।

15. पट्टा विलेख का निष्पादन .– ऐसे मामले में जिसमें आवंटन पट्टाधृति आधार पर है आवंटिती प्रीमियम जमा कराने की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर प्ररूप 'ग' में पट्टे का करार निष्पादित करेगा। यदि आवंटिती उक्त कालावधि के भीतर करार निष्पादित करने में विफल रहता है तो आवंटन आदेश प्रतिसंहृत किया हुआ समझा जायेगा और प्रतिभूति रकम समपहृत कर ली जायेगी।

16. बंधक की शर्तें .– आवंटिती से भूमि के विकास के लिए निधियां जुटाने के लिए भूमि के किसी बंधक के लिए आवंटन प्राधिकारी से अनुज्ञा लेने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :–

(i) भूमि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंकों और राजस्व विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा अनुमादित अन्य वित्तीय संस्थाओं को बंधक की जा सकती है ;

(ii) 1 प्रतिशत बंधक फीस कलक्टर को दी जायेगी ;

(iii) राज्य सरकार का इस प्रकार बंधक की गयी भूमि पर प्रथम भार होगा।

17. भूमि का अभ्यर्पण .– यदि कोई आवंटिती उसे आवंटित भूमि का उपयोग करने में या अन्यथा असमर्थ रहता है तो वह किसी भी समय आवंटन प्राधिकारी को भूमि

अभ्यर्पित कर सकेगा किन्तु उसके द्वारा जमा करायी गयी रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी और उसके द्वारा भूमि के विकास के लिए उपगत व्यय के बदले कोई प्रतिकर संदत नहीं किया जायेगा।

18. **आवंटन का रद्दकरण** .– कलक्टर की सिफारिश पर राज्य सरकार भूमि का आवंटन रद्द कर सकेगी यदि आवंटिती द्वारा नियत समय में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है या यदि वह इन नियमों के अधीन विहित किन्हीं भी शर्तों का अतिक्रमण करता है और आवंटन के रद्दकरण पर , उक्त भूमि पर उपगत व्यय या किये गये किसी विकास के बदले किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी। रद्दकरण के पश्चात् उक्त भूमि पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 91 के अधीन अतिचारी समझा जायेगा और भूमि रिक्त करने तक प्रतिमास प्रति हैक्टर 1000/. रु. संदाय करने का भी दायी होगा। आवंटिती से शोध्य रही कोई रकम भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूलीय होगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

19. **बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति** .– जब कभी इन नियमों के अधीन आवंटित बंजर भूमि लोकहित में किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो वह आवंटिती को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात् भूमि को पुनः प्राप्त कर सकती है।

20. **नियमों का निर्वचन** .– यदि इन नियमों के किसी नियम को लागू करने या उसके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका विनिश्चय राजस्व विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **निरसन और व्यावृत्तियां** .– (1) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम , 1996 इसके द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त अधिसूचनाऐं , परिपत्र , आदेश इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से अतिष्ठित समझे जायेंगे।

(3) निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई या जारी किया गया कोई भी आदेश इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा।

प्रारूप–क

(नियम 8 देखिए)

राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 के अधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषिती :

शासन सचिव ,
राजस्व विभाग ,
राजस्थान , जयपुर /जिला कलक्टर ,

1. मैं/हम समय–समय पर यथा संशोधित राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 के निबंधनों और शर्तों पर रोपण/और जैव ईंधन आधारित उद्योग की स्थापना के प्रयोजनार्थ लगभग ..... हैक्टर बंजर बंजर भूमि के आवंटन के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं और समय–समय पर प्रीमियम और पट्टा किराया , यदि कोई हो , का संदाय करने के लिए सहमत हूं/हैं।

2. मैं/हम रजिस्ट्रीकरण फीस और प्रतिभूति धन के पेटे————रु. का एक मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक स.————————दिनांक. ———————— इसके द्वारा इस समझ के साथ संलग्न करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें इस राशि पर कोई ब्याज संदेय नहीं है।

3. प्रस्तावित परियोजना का अपेक्षित ब्यौरा इसमें इसके पश्चात् प्रस्तुत है।

1.	नाम :	मैसर्स
2.	पूरा पता :	
3.	टेलीफोन सं. , यदि कोई हो	

(4) आवंटिती , समय–समय पर यथा–संशोधित राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 के समस्त निबन्धनों और शर्तों का और अन्य लागू विधियों का पालन करेगा ;

(5) पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का पालन करेगा ;

(6) पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में –

(i) पट्टेदार , नियम 10 में यथा–विहित बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के लिए विहित जि. स्त. स. की दर के 20% के समतुल्य प्रीमियम जमा करायेगा।

(ii) किराया , उस तहसील में बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के भू–राजस्व के 10 गुने की दर से संदेय होगा।

(iii) राज्य सरकार किसी भी समय वार्षिक पट्टा किराया पुनरीक्षित कर सकेगी जो पट्टेदार द्वारा संदेय होगा।

(iv) एक वर्ष का प्रीमियम और किराया 30 दिन के भीतर या 60 दिन तक की बढ़ी हुई अवधि के भीतर खजाने में जमा कराया जायेगा और वार्षिक किराया प्रतिवर्ष ———————— (तारीख) के पूर्व संदत्त किया जायेगा।

(7) गैर खातेदारी आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती को ऐसे आवंटन से कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे।

(8) आवंटिती प्रीमियम जमा कराये जाने के 15 दिन के भीतर संबंधित पटवारी से आवंटित भूमि का कब्जा लेगा।

(9) आवंटन , समय–समय पर 10 वर्ष की और कालावधि के नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। आवंटन प्राधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नवीकरण से इनकार करने का अधिकार होगा।

(10) यदि राज्य सरकार को लोकहित में , अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि अपेक्षित है तों वह आवंटिती को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात् भूमि का कब्जा ले सकेगी।

(11) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राज्य सरकार की यह राय हो कि आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का भंग किया है तो सरकार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवंटन निरस्त कर सकेगी।

(12) आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग होने पर , बंजर भूमि के नये आवंटन पर सरकार को हुई कोई हानि पट्टेदार से वसूलीय होगी।

(13) आवंटिती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियोजन में अधिमान देगा।

(14) आवंटिती , आवंटित भूमि का स्वयं उपयोग करेगा और भूमि का अन्तरण/उप–पट्टा नहीं करेगा।

(15) आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा।

स्थान :
तारीख :

	नाम और पदनाम	आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____

प्ररूप–ख
(नियम 9 देखिए)
राजस्थान सरकार

सं. तारीख :

श्री ——————————————

——————————————

आवंटन का आदेश

विषय :– जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन के लिए बंजर भूमि का आवंटन।

संदर्भ :– आपका आवेदन तारीख——————————

आपको निम्नलिखित भूमि पट्टाधृति आधार पर/गैर खातेदारी आधार पर आवंटित की गयी है :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल

आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर किया जाता है :–

(1) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी जिसके लिए वह आवंटित की गयी है। तथापि , आवंटिती आवंटित क्षेत्र का 2: या 10 हैक्टर भूमि , इनमें से जो भी कम हो , कच्ची सामग्री के भंडारण , तैयार माल के भंडारण , श्रमिक आवास और कारखाना शैड के लिए उपयोग में ला सकेगा ;

(2) आवंटिती को उस तारीख से , जिसको कब्जा सौंपा गया है , दो वर्ष के भीतर भूमि के 50 प्रतिशत को रोपण के उपयोग में लाना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द हुआ समझा जायेगा।

(3) आवंटिती समस्त कर , जो समुचित विधियों के अधीन उद्ग्रहणीय हों , का संदाय करने का दायी होगा ;

4.	कृषि सहकारी समिति/ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंध समिति/कम्पनी/ग्राम पंचायत/सोसाइटी और सरकारी उपक्रम/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह का गठन	भागीदारों/संप्रवर्तकों/कार्यकारिणी समिति इत्यादि के सदस्यों के नाम
5.	परियोजना का प्रकार और लागत	
6.	भूमि की आवश्यकता और उपयोग (क) तिलहन का रोपण (ख) औद्योगिक इकाई, गोदाम/कार्यालय (ग) कोई अन्य ब्यौरा	
7.	भूमि पर कियाकलाप (क) विनिर्मित किया जाने वाला उत्पाद (ख) लगाये जाने वाले श्रमिकों की संख्या (ग) उत्पादन क्षमता	
8.	संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियां	1. निगमन विलेख 2. बंजर भूमि का स्थल रेखांक 3. परियोजना रिपोर्ट 4. जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, का भवन रेखांक। 5. उप–विधियों/संगम अनुच्छेद/भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो)।

(16) आवंटिती , आवंटन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभि–प्राप्त किये बिना स्थायी प्रकृति का कोई संनिर्माण नहीं करेगा।

(17) आवंटिती जैव–ईंधन प्रधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जोन में अवस्थित कम्पनी को उत्पाद का विकय करेगा।

पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में पट्टा विलेख , प्रीमियम जमा कराये जाने की तारीख से दो मास के भीतर निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

कलक्टर / शासन उप सचिव के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

श्री———————————————— (आवंटिती)

कम्पनी / सरकारी उपकम / सोसाइटी / गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह / ग्राम पंचायत / सहकारी सोसाइटियां।

कलक्टर / शासन उप सचिव के हस्ताक्षर

प्ररूप–' ग '

(नियम 15 देखिए)

पट्टा – विलेख

यह पट्टा विलेख एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे पट्टाकर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस , उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में सरकारी उपकम/कम्पनी/सोसाइटी जिसका नाम और पता———————— है (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस , उत्तरवर्ती , निष्पादक , प्रशासक , विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख———————— को किया गया।

और यतः पट्टाकर्ता जैव ईंधन रोपण और जैव ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबंधनों और शर्तों पर पट्टेदार को पट्टे के आधार पर———हैक्टर बंजर भूमि आवंटित करने के लिए सहमत हो गया है "

और यतः पट्टाकर्त्ता द्वारा पट्टांतरित भूमि का कब्जा दिनांक———————— को पट्टेदार को दे दिया गया है या दिया जायेगा।

अब यह पट्टा करार निम्नलिखित का साक्षी है :

1. इसमें अन्तर्विष्ट प्रंसविदाओं और करार के और पट्टेदार द्वारा वार्षिक पट्टा किराया के रूप में ————————रु. और प्रीमियम के रूप में ———रु. के संदाय के प्रतिफलस्वरुप जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्त्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है , पट्टाकर्ता उपाबंध ' क ' में दिये गये ब्यौरे के अनुसार———————— हैक्टर भूमि पट्टेदार को इसके द्वारा पट्टांतरित करता है।

और पट्टेदार निम्नलिखित और रूप में पट्टाकर्ता सें इसके द्वारा प्रसंविदा करता है:–

1. यह कि पट्टेदार भूमि के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित ऐसे सभी सेवा प्रभारों का वहन , संदाय और उन्मोचन करेगा जो उक्त अवधि के दौरान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित , प्रभारित , उद्गृहीत या अधिरोपित और पुनरीक्षित किया जायें।
2. यह कि पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी के ऐसे समस्त नियमों/विनियमों/आदेशों का पालन करेगा जहां तक वे स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हैं या उस स्थान के अन्य निवासियों के स्वास्थ्य , सुरक्षा और सुविधा को प्रभावित करते हैं।
3. यह कि पट्टेदार स्थल रेखांक के अनुसार पट्टांतरित परिसर पर औद्योगिक इकाई स्थापित करेगा और दो वर्ष की कालावधि के भीतर संनिर्माण संकर्म पूर्ण

करेगा और कब्जा परिदत्त किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर (50% प्रथम दो वर्ष में और शेष 50% तीसरे वर्ष में) रोपण करेगा।

परन्तु यह कि बंजर भूमि की अनुपयोजित भूमि रोपण/जैव ईंधन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात् पट्टाकर्ता को प्रतिवर्तित हो जायेगी।

4. यह कि पट्टेदार ऐसे सभी उपाय करेगा जो प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपेक्षित हों और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू अनुबंधों और तत्समय प्रवृत्त अन्य कानूनी प्रदूषण विधि/पर्यावरण विधि का कठोरता से पालन करेगा।

5. यह कि पट्टेदार , समय–समय पर यथासंशोधित राजस्थान भू–राजस्व. (जैव ईंधन रोपण और जैव आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम , 2007 के समस्त उपबन्धों का पालन करेगा।

6. यह कि पट्टाधृति आधार पर आवंटित बंजर भूमि समय–समय पर 10 वर्ष की और कालावधि के नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी और आवंटन प्राधिकारी को लिखित में अभिलिखित कारणों से पट्टे के नवीकरण से इनकार करने का अधिकार होगा।

7. यह कि यदि इन नियमों के अधीन आवंटित बंजर भूमि राज्य सरकार को लोकहित में किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो वह आवंटिती/पट्टेदार को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात् वापस ले सकेगी।

8. इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टाकर्त्ता की यह राय है कि पट्टेदार की ओर से या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की ओर से इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का कोई भंग हुआ है तो पट्टेदार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पट्टा करार समाप्त कर सकेगा।

9. पट्टेदार की ओर से या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त शर्तों के भंग के लिए पट्टाकृत परिसरों की नयी मंजूरी पर पट्टाकर्त्ता को होने वाला कोई नुकसान पट्टेदार से वसूलीय होगा। .

10. इसके अधीन तामील किये जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस या संसूचना पट्टेदार पर पर्याप्त रूप से तामील की हुई समझी जायेगी यदि तामील पट्टाकर्त्ता के किसी अधिकारी द्वारा " रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा देय " डाक में डाली गयी या हस्ताक्षरित की गयी है और उस समय जब रजिस्ट्रीकृत पत्र सामान्य अनुकम में परिदत्त कर दिया गया हो , तामील किया हुआ माना जायेगा चाहे पट्टेदार द्वारा इन्कार करने के कारण या अन्य किसी कारण से तामील हुए बगैर लौटे।

11. कम्पनी जैव–ईंधन प्राधिकरण द्वारा नियत न्यूनतम समर्थित कीमत पर उस जोन में स्थित अन्य आवंटियों से उत्पाद कय करेगी।

12. पट्टा करार में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के जब कभी भंग हो जाने पर निक्षिप्त प्रतिभूति समपहृत हो जायेगी।

13. इस करार का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभार पट्टेदार द्वारा वहनं किये जायेंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने तारीख————— को अपनें–अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी उपकम/कम्पनी/
सोसाइटियों की ओर से।

हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य के
राज्यपाल के लिए और
की ओर से।

साक्षी :–
(1)
(2)

राज्यपाल के आदेश से,

(के. जी. अग्रवाल) 4.8.200
शासन उप सचिव।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2.वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3.वि0 सहायक, मा0 पंचायत राज्य एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4.निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,राजस्व/पंचायत राज्य एवं ग्रमीण विकास विभाग।
6.निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
7.समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
8.समस्त कलेक्टर, राज0 ।
9.निबंधक, राजस्व मंडल,अजमेर।
10.राविरा, राजस्व मंडल, राज. अजमेर।
11.निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक असाधारण अकं दि 4.8.07 में प्रकाशनार्थ
12.समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13.रक्षित पत्रावली।

4.8.200
उप शासन सचिव